सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
लखनऊ।

सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–गु0वि0/TLM–निर्देश एवं बजट/1286/2012–13 दिनांक 22 जून, 2012

विषयः–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2012–13 हेतु 'शिक्षक–अनुदान' संबंधी बजट एवं उपयोग हेतु निर्देश।

महोदय/महोदया,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को वार्षिक आधार पर ₹ 500/– **"शिक्षक अनुदान"** प्रदान करने की व्यवस्था है। पठन–पाठन के दृष्टिकोण से इसका उददेश्य स्वनिर्मित, कम लागत की और स्थानीय रूप से उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करके कक्षा–कक्ष को बाल–केन्द्रित, आनन्ददायक और सुविधाजनक बनाना है तथा वित्तीय दृष्टिकोण से कम लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री के लिये उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

तदनुसार वर्ष 2012–13 में प्रदेश के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा शिक्षण के लिए आवश्यक 'शिक्षण अधिगम सामग्री' के निर्माण अथवा कम लागत की और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री क्रय के लिए प्रत्येक शिक्षक को ₹ 500/– की दर से 'शिक्षक–अनुदान' बजट की धनराशि ₹ **2440.200** (चौबीस करोड़ चालीस लाख बीस हजार मात्र) प्रेषित की जा रही है। 'शिक्षक–अनुदान' के उपयोग के सम्बन्ध में शर्तें निम्नवत् हैं:–

1. **अर्हता** – शिक्षक अनुदान निम्न प्रकार के विद्यालयों को प्रदान किया जायेगा :–
   (I) परिषदीय एवं राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय; तथा
   (II) ऐसे सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय/सहायता प्राप्त मदरसा/समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय जो निम्न शर्तें पूर्ण करते हों:–
   - इन विद्यालयों की दाखिला नीति राज्य में परिषदीय विद्यालयों की दाखिला नीति जैसी हो;
   - ऐसे विद्यालय छात्रों से कोई शुल्क न वसूल रहे हों;
   - शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए;
   - शिक्षकों का वेतन और सेवा शर्तें परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों जैसी होनी चाहिए;
   - विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम परिषदीय विद्यालय के पाठ्यक्रम जैसा होना चाहिए (मदरसों के मामले में मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का पालन किया जाना चाहिए);

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

- सहायता प्राप्त अशासकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट संस्थाओं/राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायता प्राप्त मकतब/मदरसों की सूची जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सहायता प्राप्त विद्यालयों की सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी से प्रमाणित होनी चाहिए।

2. धनराशि अंतरण – समयबद्ध धनराशि अन्तरण निम्नवत सुनिश्चित किया जायेगा :–

(क) शिक्षकों को शिक्षक अनुदान की धनराशि दिनॉक 25 जुलाई, 2012 तक उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) यह धनराशि परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत् प्रत्येक शिक्षक/शिक्षामित्र को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की 'शिक्षक–अनुदान' की धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में हस्तान्तरित की जायेगी।

(ग) सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/राजकीय विद्यालयों/ सहायता प्राप्त मदरसों व मकतबों तथा समाज कल्याण द्वारा संचालित विद्यालयों में प्राथमिक वर्ग के लिए अधिकतम 5 शिक्षकों और उच्च प्राथमिक वर्ग के लिए अधिकतम 3 शिक्षकों हेतु धनराशि संबंधित संस्था के विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

3. **शिक्षक अनुदान का उपयोग** – वर्ष 2012–13 में शिक्षक अनुदान की राशि का उपयोग निम्नवत किया जाएगा :–

- जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) **15 जुलाई, 2012** तक प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समन्वयक (वै. शिक्षा) एवं समस्त ब्लॉक/नगर संसाधन केन्द्र समन्वयकों/सह–समन्वयकों की बैठक आयोजित करायेंगे। बैठक में पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा के लिये विषयवार वॉछित शिक्षण अधिगम सामग्री की सुझावात्मक सूची बनायी जायेगी तथा उक्त सामग्री को स्थानीय संसाधनों से निर्माण करने अथवा क्रय के विकल्पों के संबंध में भी सुझावात्मक मन्तव्य दिया जायेगा।
- उक्त बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर चिह्नित की गयी शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता एवं कक्षा शिक्षण में उपयोग सुनिश्चित करने के लिये जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा कार्ययोजना बनायी जायेगी।
- शैक्षिक सत्र 2012–13 में प्रत्येक शिक्षक द्वारा बनायी गयी अथवा क्रय की गयी शिक्षण अधिगम सामग्री की विद्यालयवार सूची बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0/यू0ई0आर0सी0 पर संकलित की जायेगी तथा निरीक्षण के समय प्रस्तुत की जायेगी।
- नवनिर्मित कार्ययोजना के अनुरूप नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षक अनुदान का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) प्रत्येक विद्यालय को **दिनॉक 20 जुलाई, 2012** तक विस्तृत, लिखित निर्देश उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेंगे।
- शिक्षण अधिगम सामगी के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों/सह–समन्वयकों एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किया जायेगा तथा सघन अनुश्रवण/पर्यवेक्षण किया जायेगा। जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा कृत कार्यवाही का डॉक्यूमेंटेशन किया जायेगा।

- प्रभावी कक्षा–शिक्षण हेतु विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा कम लागत की और स्थानीय रूप से उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री आवश्यक सामग्री का कय किया जाय अथवा स्वयं आवश्यकतानुसार निर्मित किया जाय।

4. <u>उपभोग प्रमाण पत्र</u> –

- वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012–13 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शिक्षक अनुदान की धनराशि एवं उपयोग के निर्देश **दिनॉक 20 जुलाई, 2012** तक शिक्षकों को उपलब्ध कराये जायेंगें।
- शिक्षक अनुदान मद के उपभोग प्रमाण–पत्र को सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा तथा **दिनॉक 31 जुलाई, 2012 तक** जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी **दिनॉक 31 अगस्त, 2012** तक शिक्षक अनुदान मद का उपभोग प्रमाण–पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

तदनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षक अनुदान मद की धनराशि सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति मैनुयल में निर्धारित प्रकिया एवं प्रावधानों के अनुरूप अन्तरण एवं उपभोग की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

<u>संलग्नकः–उक्तवत्।</u>

भवदीय,

(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: गु0वि0/TLM–निर्देश एवं बजट/1286/2012–13 तद्दिनांक

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
3. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त जनपद।
10. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय,समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) समस्त जनपद, उ0प्र0।

22.6.12

(दिनेश बाबू शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

पत्रांकः–गु0वि0/TLM–निर्देश एवं बजट/1286/2012–13 दिनॉक22जून, 2012 का संलग्नक

UPSSA-AWP&B : 2012-13 -Targets For TLM Grant

(Rs. In Lacs)

District	Primary Teachers		Upper Primary Teachers		Total Amount To Be Released
	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Fin.
1	2	3	4	5	6
1-Agra	6189	30.945	2290	11.450	42.395
2-Aligarh	5394	26.970	2760	13.800	40.770
3-Allahabad	8310	41.550	3796	18.980	60.530
4-Ambedkar Nagar	4994	24.970	1784	8.920	33.890
5-Auraiya	4091	20.455	1651	8.255	28.710
6-Azamgarh	8706	43.530	3915	19.575	63.105
7-Badaun	6173	30.865	1614	8.070	38.935
8-Baghpat	1889	9.445	871	4.355	13.800
9-Baharaich	6792	33.960	1224	6.120	40.080
10-Balia	7344	36.720	2345	11.725	48.445
11-Balrampur	4213	21.065	849	4.245	25.310
12-Banda	4856	24.280	1310	6.550	30.830
13-Barabanki	6877	34.385	2135	10.675	45.060
14-Bareilly	6945	34.725	1980	9.900	44.625
15-Basti	5149	25.745	1905	9.525	35.270
16-Bhadohi	3205	16.025	1110	5.550	21.575
17-BheemNagar	3545	17.725	1045	5.225	22.950
18-Bijnor	6025	30.125	2179	10.895	41.020
19-BulandShahar	5359	26.795	2529	12.645	39.440
20-Chandauli	3736	18.680	1469	7.345	26.025
21-CSM Nagar	4586	22.930	1316	6.580	29.510
22-Chitrakoot	2987	14.935	1178	5.890	20.825
23-Deoria	6233	31.165	2720	13.600	44.765
24-Etah	4188	20.940	1810	9.050	29.990
25-Etawah	4085	20.425	1791	8.955	29.380
26-Faizabad	4597	22.985	1886	9.430	32.415
27-Farrukhabad	4177	20.885	1768	8.840	29.725
28-Fatehpur	6526	32.630	2042	10.210	42.840
29-Firozabad	4300	21.500	1519	7.595	29.095
30-GBNagar	1785	8.925	510	2.550	11.475
31-Ghaziabad	1760	8.800	655	3.275	12.075
32-Ghazipur	6274	31.370	2129	10.645	42.015
33-Gonda	5899	29.495	1572	7.860	37.355
34-Gorakhpur	7829	39.145	2965	14.825	53.970
35-Hamirpur	2476	12.380	1087	5.435	17.815
36-Hardoi	8474	42.370	2978	14.890	57.260
37-Hathrus	2827	14.135	1474	7.370	21.505
38-Jalaun	3087	15.435	1738	8.690	24.125
39-Jaunpur	8093	40.465	2259	11.295	51.760

([illegible] सिंह)
वरिष्ठ विशेषज्ञ
[illegible] शिक्षा अभियान
[illegible]

40-Jhansi	3730	18.650	1618	8.090	26.740
41-JPNagar	3732	18.660	1046	5.230	23.890
42-Kannauj	3349	16.745	1589	7.945	24.690
43-KanpurDehat (RamabaiNagar)	5006	25.030	1651	8.255	33.285
44-KanpurNagar	5971	29.855	2114	10.570	40.425
45-KanshiramNagar	3047	15.235	821	4.105	19.340
46-Kaushambi	3307	16.535	1252	6.260	22.795
47-Kushinagar	5744	28.720	1202	6.010	34.730
48-Lakhimpur	6790	33.950	1922	9.610	43.560
49-Lalitpur	2777	13.885	1404	7.020	20.905
50-Lucknow	5433	27.165	1781	8.905	36.070
51-Maharajganj	4714	23.570	1192	5.960	29.530
52-Mahoba	1829	9.145	783	3.915	13.060
53-Mainpuri	4231	21.155	1739	8.695	29.850
54-Mathura	4952	24.760	1916	9.580	34.340
55-Mau	4561	22.805	2001	10.005	32.810
56-Meerut	3576	17.880	1577	7.885	25.765
57-Mirzapur	5035	25.175	1243	6.215	31.390
58-Moradabad	4132	20.660	1496	7.480	28.140
59-Muzaffar Nagar	3235	16.175	1598	7.990	24.165
60-PanchsheelNagar	1500	7.500	495	2.475	9.975
61-Pilibhit	3687	18.435	1509	7.545	25.980
62-PrabuddhaNagar	1770	8.850	782	3.910	12.760
63-Pratapgarh	6782	33.910	1785	8.925	42.835
64-RaiBareilly	5020	25.100	1901	9.505	34.605
65-Rampur	4612	23.060	1312	6.560	29.620
66-Saharanpur	5763	28.815	1927	9.635	38.450
67-SKNagar	3067	15.335	826	4.130	19.465
68-Shahjahanpur	6234	31.170	2159	10.795	41.965
69-SiddharthNAgar	5508	27.540	1216	6.080	33.620
70-Sitapur	9187	45.935	2589	12.945	58.880
71-Sonebhadra	3487	17.435	963	4.815	22.250
72-Srawasti	2258	11.290	924	4.620	15.910
73-Sultanpur	5156	25.780	2058	10.290	36.070
74-Unnao	6737	33.685	2156	10.780	44.465
75-Varanasi	5377	26.885	2064	10.320	37.205
Total	**361271**	**1806.355**	**126769**	**633.845**	**2440.200**

वरिष्ठ विशेषज्ञ
शिक्षा अभियान
विद्या भवन,